श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

जोबनेर जिला : जयपुर (राजस्थान) 303329

No. ( )/Asalpur Farm/Horti/SKNCOAJ/2025/417

Date 11/06/2025

खुली निविदा सूचना

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय) जोबनेर, जयपुर के आसलपुर फार्म पर खरीफ 2025 की विभिन्न फसलों के बीज व व्यावसायिक फसल उत्पादन हेतु हिस्सा आधारित खेती लगभग 30 हैक्टेयर क्षेत्र में करवाने हेतु निविदाएँ दिनांक 20.06.2025 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र ₹.500/– रूपये लेखा शाखा महाविद्यालय को नगद/बैंकर चैक जमा करवाकर कार्यालय समय में प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। अथवा निविदा फार्म श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की वेबसाइट www.sknau.ac.in या sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर निविदा फार्म का शुल्क राशि रूपये ₹.500/– का नगद या डी.डी. लगाकर कर भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। सफल निविदादाता को निविदा जारी होने के पश्चात ₹.200/– प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि कार्यालय में नगद/डी.डी. के द्वारा जमा करवानी होगी। निविदा दिनांक 20.06.2025 को दोपहर 02.15 बजे कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। उक्त निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sknau.ac.in, sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि स्वंय/नामित सदस्य को दिनांक 20.06.2025 को उपस्थित होना सूनिश्चित करवाने का श्रम करावे।
2. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
3. आसलपुर फार्म इंचार्ज, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
5. कैशियर, लेखा शाखा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
6. नोटिस बोर्ड, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।

अधिष्ठाता

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
जोबनेर जिला : जयपुर (राजस्थान) 303329

No. ( )/Asalpur Farm/Horti/SKNCOAJ/2025/417 Date 11/06/2025

आसलपुर फार्म पर खरीफ 2025 में बीज व व्यावसायिक फसल उत्पादन के लिए हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा।

1.	निविदा प्रपत्र की कीमत	₹.500 रू प्रति निविदा
2.	निविदा संदर्भ ,	**निविदा प्रपत्र** हिस्सा आधारित खेती (खरीफ 2025)
3.	निविदा प्रपत्र	सलंग्न (निविदा प्रपत्र मय निविदा शर्ते।
4.	निविदा प्राप्त करने का समय	कार्यालय कार्य दिवस में सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक या वेबसाइट www.sknau.ac.in या sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करे
5.	निविदा कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि	20.06.2025 दोपहर 1.00 बजे तक
6.	निविदा खोलने की तिथि	20.06.2025 दोपहर 02.15 बजे
7.	निविदा खोलने का स्थान	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, श्री क. न. कृ. विश्वविद्यालय, जोबनेर, जिला : जयपुर
8.	पत्र व्यवहार हेतु पता	अधिष्ठाता श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय श्री क. न. कृषि विश्वविद्यालय., जोबनेर, जिलाः जयपुर (राजस्थान) 303329

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

जोबनेर जिला : जयपुर (राजस्थान) 303329

No. ( )/Asalpur Farm/Horti/SKNCOAJ/2025/ 417

Date 11/06/2025

निविदा प्रपत्र

हिस्सा आधारित खेती :–

1. **योजना का नाम:** खरीफ फसलें – वर्ष 2025 हिस्सा आधारित खेती
2. **बजट मद:** रिवोल्विग फंड
3. **कार्य की अनुमानित अवधि:** 6 माह (खरीफ 2025)
4. **अमानत/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि की प्रकृति व राशि:** सफल निविदादाता को 200/– प्रति हैक्टर की दर से नगद या डी.डी. द्वारा अमानत राशि कार्यालय में जमा करवानी होगी।
5. **निविदा खोलने की दिनांक व समय :– 20.06.2025** दोपहर: 2.15 बजे
6. **निविदादाता :** निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य व शर्तो का विवरण नीचे दर्शाया गया है।

क्र.सं	फार्म खण्ड़, आसलपुर	बोई जाने वाली फसल का नाम एवं अनुमानित क्षेत्रफल	उत्पादन में निविदादाता द्वारा दर्शाया जाने वाला हिस्सा (प्रतिशत)
अ	खण्ड़ अ (मुख्य आसलपुर फार्म)	ग्वार – प्रजनन व टीएफएल बीज (7.0 हैक्टर)	
		मूंग – प्रजनन व प्रमाणित बीज (4.0 हैक्टर)	
		बाजरा – व्यावसायिक उत्पादन (7.5 हैक्टर)	
ब	खण्ड़ ब (नया मौजा, आसलपुर फार्म)	ग्वार – टीएफएल बीज (8.0 हैक्टर)	
स	खण्ड़ अ (रेलवे स्टेशन आसलपुर के पास फार्म)	ग्वार – टीएफएल बीज (3.5 हैक्टर)	

निविदा की शर्ते :–

1. हिस्सा आधारित खेती में खेत की तैयारी से थ्रेसिंग तक अथवा बुवाई के बाद (निराई–गुड़ाई से पहले) से थ्रेसिंग तक हिस्से के रूप मे खेती करवाई जा सकती है।
2. बीज उत्पादन के लिये खेत की तैयारी से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम मे रखने तक सभी कार्य हिस्साधारक (निविदादाता/ठेकेदार) को करने होगें। जिसमें खेत की तैयारी करना, पलेवा करना, बुवाई करना,
3. सिंचाई करना, निराई–गुड़ाई करना, खरपतवारनाशी, कीटनाशी व फफूंदनाशी व उर्वरको का छिड़काव करना, फसल की कटाई करना, एकत्रित करके थ्रेसिंग करना इत्यादि कार्य हिस्साधारक को करने होगें।

4. खड़ी फसल मे हिस्सा लेने पर हिस्साधारक को फसल मे निराई–गुड़ाई से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम मे रखने तक के सभी कार्य करने होगें।
5. फसलो का चुनाव व बुवाई सम्बन्धित निर्णय प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करने होगें।
6. हिस्साधारक को हिस्सा छूटने के पश्चात ₹.200/– प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि/कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करवानी होगी।
7. बीज उत्पादन में काम आने वाले सभी आदान (बीज, खाद व उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशी इत्यादि) एवं मशीनरी (थ्रेसिंग सहित) केन्द्र प्रभारी द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें।
8. ट्रेक्टर से सम्बन्धित सभी कृषि कार्य केन्द्र प्रभारी द्वारा करवायें जायेगें तथा डीजल भी केन्द्र द्वारा ही दिया जायेगा।
9. फार्म पर काम आने वाले कृषि उपकरणो, औजारो, फव्वारे के पाईपो व नोजल इत्यादि की देख–रेख की जिम्मेदारी हिस्साधारक की होगी।
10. बीज उत्पादन हेतु समस्त शष्य कियाये फार्म मेनेजर/ईन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार समय पर करनी होगी तथा श्रमिको व औजारो की व्यवस्था हिस्साधारक को करनी होगी।
11. फार्म की चोकीदारी, पशु–पक्षियों से रखवाली, फसलो के आस–पास की सफाई हिस्साधारक द्वारा करनी होगी।
12. उत्पादित बीज का वजन तोलते समय नमी व कचरे का 2 प्रतिशत काटा जायेगा।
13. फसल के व्यवसायिक उत्पादन मे हिस्साधारक को बीज व चारे का हिस्सा दिया जायेगा।
14. बीज उत्पादन वाली फसलों में हिस्साधारक को उत्पादन के रूप में बीज नहीं दिया जायेगा हिस्से की राशि उत्पाद को स्टोर में जमा कराने की तिथि से नजदीकी सरकारी मण्डी मे 7 दिन पहले एवं 7 दिन बाद तक के औसत मण्डी भाव के अनुसार राशि ही अदा की जायेगी। हालांकि हिस्साधारक को उसके हिस्से का चारा दिया जायेगा।
15. थ्रेसिंग व उत्पादित बीज को गोदाम मे रखने का कार्य सक्षम अधिकारी की देखरेख मे करवाना होगा।
16. यदि हिस्साधारक कृषि कार्य समय पर या ठीक से नहीं करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका हिस्सा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
17. निविदा समाप्त होने पर फार्म से लिये गये सभी सामान जमा करवाने होगें।
18. हिस्सा आधारित खेती का अनुबंध एक सीजन के लिये किया जा सकेगा।
19. कृषि कार्य करने के दौरान हिस्साधारक व उसके श्रमिको के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना की जिम्मेदार स्वयं की होगी।
20. मौसम या अन्य कारणो से अगर फसल खराब होती है तो हिस्साधारक को श्रमिको की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
21. केन्द्र प्रभारी निविदा के समय केन्द पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अन्य निविदा शर्तो को भी शामिल कर सकते है।
22. केन्द्र द्वारा हिस्साधारक को उत्पादन भण्डार मे रखने के दो माह मे हिस्सा राशि संबधित हिस्सादार को अदा की जाएगी।
23. निराई गुडाई, फसल कटाई, थ्रेसिग आदि कार्य व थ्रेसिंग उपरान्त इक्कठा करना, ढेर लगाना आदि कार्य मौसम की स्थिति अनुसार निविदादाता को फार्म प्रबन्धक की आज्ञानुसार करने होगे, व कटी हुई फसल के ढेर को वर्षा होने पर तिरपालों से ढकना होगा।

24. फसल में रोगिंग (अवांछित पौधे हटाना) का कार्य फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञानुसार बताये गये समय सीमा में निविदादाता को ही करना होगा।

25. प्रस्तावित निविदा पत्र अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को मय निविदा के विवरण लिफाफे के ऊपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी। दर शब्दों व अंकों में लिखे। किसी भी प्रकार की कांट छांट अथवा फिर से ठीक कि हुई निविदा स्वीकृत नही होगी।

26. सिंचाई हेतु जल आपूर्ति ठेकेदार को फसल में बताए समयानुसार करनी होगी एवं आवश्यक हुआ तो रात्रि में भी करनी होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञा से कार्य की समयावधि धटाई बढाई जा सकती है।

27. निविदादाता की हिस्सेदारी से अधिक हिस्सा मांगे जाने पर निविदादाता को अधिक हिस्सा नही दिया जायेगा।

28. हिस्सेदार को फार्म के नियमों को पालन करना होगा एवं किसी भी प्रकार के नुकसान की स्थिति में उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है।

29. हिस्सेदार फार्म पर किसी भी प्रकार का पालतु जानवर नही रखेगा।

30. किसी भी वैधानिक स्थिति/परिस्थिति में न्याय क्षैत्र जोबनेर जयपुर होगा।

अधिष्ठाता
श्री क. न. कृषि महाविद्यालय,
जोबनेर

मुझे निविदा की उपरोक्त समस्त शर्ते मंजूर है तथा में उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

कोन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम :–

पता:–

मो0 न0:–

आधार सं.

बैंक खाता सं. एवं पता